AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्वतन्त्रता आंदोलन में दलित चेतना के प्रसार में भूमिका

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. रमन उपाध्याय,
सहायक अध्यापक,
श्री मंगलसेन भारतीय इण्टर कालेज,
शाहजहाँपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान पुर्नजागरण काल में दलितोत्थान के नये युग का आगमन हुआ। इस काल में समाज सुधार आन्दोलन विवेक और तर्क पर आधारित था, जबकि भक्ति आन्दोलन भक्ति में निहित था। इसी भक्ति में निहित व्यक्ति की समानता की जो पृष्ठभूमि निर्मित हुई। वास्तव में समाज सुधारकों का उद्देश्य दलितों का उत्थान करना था जिसमें महत्वपूर्ण समस्या अस्पृश्यता अर्थात् अछूतोंद्धार था। इस दिशा में ईसाई मिशनरियों ने सहज और सरल तरीका धर्म परिवर्तन का अपनाया। वहीं हिन्दू धर्मावलम्बियों ने दलित उत्थान के लिये संस्थाओं को माध्यम बनाया। इसमें राजाराममोहन राय का ब्रहम समाज, स्वामी विवेकानन्द का रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानन्द सरस्वती का आर्य समाज, महादेव गोविन्द रानाडे का प्रार्थना समाज, ज्योतिबाफुले का सत्यशोधक समाज आदि संस्थाओं का निर्माण प्रमुख है। दलित उन्नयन की कड़ी में महार दलित जाति में बी. आर. अम्बेडकर का नाम उल्लेखनीय है।

मुख्य शब्द

जाति प्रथा, समाज सुधार, दलित चेतना, अंधविश्वास।

उल्लेखनीय है कि ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन करके दलितों का उत्थान और अछूतोद्धार का मार्ग अपनाया तो भारतीय समाज सुधारकों ने भारतीय जाति प्रथा और अस्पृश्यता को धार्मिक विश्वास प्रणालियों और धार्मिक अन्धविश्वासों में ही खोजने का प्रयास किया। दलित उन्नयन की कड़ी में महार दलित जाति में बी. आर. अम्बेडकर का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंनें दलित विसमता को समग्रता से देखा। इन्होंने वर्ण, जाति, सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था के विभेदीकरण के विरूद्ध उग्र और तीखे प्रहार किये।

1920 में पीड़ित और शोषित वर्ग को समानता का दर्जा दिलाने के लिये मराठी भाषा में 'मूकनायक' समाचार पत्र का प्रकाशन किया तथा ''बहिष्कृत हितकारिणी समाज'' की स्थापना की जिसका उद्देश्य दलितों का उत्थान करना था। उनका विचार था कि जब तक दलितों में चेतना जाग्रत नहीं होगी तब तक इनका उत्थान संभव नहीं है।

1927 में चबदार तालाब पर दलितों को लेकर सामूहिक रूप तालाब का पानी पिया जो सर्वथा दलितों के लिए वर्जित था। 25 दिसम्बर 1927 में मनुस्मृति को जलाया क्योंकि वे मनुस्मृति को जाति प्रथा के लिये उत्तरदायी मानते थे। इन्होंनें 1930 में नासिक में स्थित लालेराम मन्दिर में प्रवेश के लिये आन्दोलन किया। 1930 में दलितों के विकास

व उनके उत्थान के लिये लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

इस सम्मेलन में उन्होंने दलितों के समान अधिकार नागरिकता के नियम का संरक्षण तथा दलितों को मन्त्रिमण्डल में समुचित प्रतिनिधित्व की वकालत की। इनके प्रयास से ही 1932 में आरक्षित स्थानों के अतिरिक्त सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। डॉ. अम्बेडकर दलित उत्थान के प्रतीक बन गये थे।

उनकी यह मान्यता था कि दलितों पर हो रहे अत्याचार एक समाज पर दूसरे समर्थ समाज द्वारा हो रहा है। अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी संघर्ष में जीत उसी की होती है जिसके हाथ में सामर्थ्यता है, जिनमें सामर्थ्य नही है उनमें विजय प्राप्त करने सामर्थता देखना मूर्खता है। इसलिये अम्बेडकर ने दलितों को अपने शोषण–उत्पीड़न का प्रतिकार करने के लिये बल संचित का सुझाव दिया। उन्होने कहा था कि मानव समाज के पास तीन प्रकार का बल होता है – एक है मनुष्य बल दूसरा है धन बल और तीसरा है मनोबल। मनोबल की दृष्टि से दलित असंगठित है, उसके पास धन बिल्कुल नहीं है। उनमें मानसिक बल की हालत तो सबसे बुरी है, उनके विचार में सैकड़ों वर्षों से अन्याय सहन करते रहने के कारण उनमें प्रतिकार न करने की क्षमता का अभाव है। दलितों के मन में प्रतिकार का विचार ही नहीं आता है। इसलिये उन्होंने दलितों को अपने कार्यक्रमों से प्रतिकार करने की क्षमता का विकास किया। वास्तव में अम्बेडकर दलित उत्पीड़न के कारकों को सम्पूर्णता में देखने का प्रयास किया जिसका अभाव अब तक के चिन्तकों में पाया जाता रहा है। यही कारण है कि दलित प्रभावी लड़ाई नहीं लड़ सके, उन्होंने इसे वर्ग संघर्ष कहा था।

दलित चेतना और दलितोत्थान के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी पर चर्चा करना अपरिहार्य है। गांधी जी मूलतः सुधारवादी थे इसलिये उन्होने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का तो समर्थन किया, लेकिन उससे उत्पन्न सामाजिक कुरितियों और अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। उन्होने अस्पृश्यता को अमानवीय माना। इन्होने जातिगत विषमता और इससे जनित कुरीतियों और सामाजिक सांस्कृतिक निर्योगताओं की कटु आलोचना की। इनके विचार में इसे हमेशा के लिये नष्ट कर देना चाहिए। गांधी जी के द्वारा ''हरिजन सेवक संघ'' की स्थापना की गई ताकि दलितोत्थान के लिये वैचारिक और व्यवहारिक कार्यक्रम को संचालित किया जा सके। उन्होनें स्पष्ट कहा था कि वह हिन्दू समाज के अंग है, यदि अश्पृश्यता रहेगी तो हिन्दू समाज मिट जायेगा, यह एक अभिशाप है। गांधी जी ने इस पर सीधा प्रहार किया। उनका मानना था कि जब तक देश में जाति प्रथा रहेगी तब तक देश का विकास तथा उसका एकीकरण संभव नहीं है। अगर यह कहा जाये कि दलितोत्थान में गांधी जी की भूमिका अतुलनीय है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी।

गांधी जी के इन्हीं विचारों और प्रेरणाओं से प्रभावित होकर संविधान में महत्वपूर्ण अंग भाग–3 और भाग–4 को स्थान मिला, जिसमें स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व, सामाजिक न्याय जैसे दलित उन्मूलन एवं उन्नयन सम्बन्धी प्रावधानों को स्थान दिया गया। इसमें सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और ''अस्पृश्यता अपराध अधिनियम'' में अस्पृश्यता को बढावा या प्रोत्साहन देने सम्बन्धी किसी भी कृत्य को अपराध घोषित किया गया है तथा उसके लिये राज्य को दण्ड देने की शक्ति प्रदान की गई है।

जाति की ईश्वरीय अवधारणा के चलते डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को हिन्दू धर्म की प्राण वायु बताया और साफ शब्दों में कहा कि ऊंच–नीच के भेदभाव के चलते हिन्दू धर्म कभी मिशनरी धर्म नही बन पाया जबकि अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म अनेक देशों की सीमायें पार कर गया।

जाति व्यवस्था विरोधी अहिंसक तथा विश्वबंधुत्व होने के कारण डॉ0 अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा दलितों के लिये बौद्ध धर्म को उचित बताया। संक्षेप में यही डॉ0 अम्बेडकर का सामाजिक चिंतन था। उन्होने संविधान के माध्यम से भारतीय जनतंत्र को विकासशील बनाया, जिस कारण देश की एकता मजबूत हुई।

बुद्ध से लेकर अम्बेडकर तक ने जाति विहीन समाज की दलित मुक्ति की कल्पना की थी, किन्तु आज का भारतीय जनतन्त्र पूर्णरूपेण जातीय, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक जनतन्त्र में बदल चुका है, ऐसा जनतन्त्र राष्ट्रीय एकता

के लिये वास्तविक खतरा है। डॉ. अम्बेडकर की उक्ति जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है।

दलितों की स्थिति सुधारने के लिये उन्होने शिक्षा पर जोर दिया तथा शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। बाबा साहब ऐसी शिक्षा चाहते थे जो समाज के उत्थान का कार्य करें। बाबा साहब ऐसी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे जो समाज को बांटने का कार्य करें। शिक्षा के साथ उनका शिक्षक की योग्यता पर भी बल था। उनका मानना था कि शिक्षक राष्ट्र का सारथी है इसलिये शिक्षक बुद्धि से होशियार, वृत्ति से निरीक्षक व मर्मज्ञ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से मनुष्य का आत्मिक उन्नयन होता है। बाबा साहब यह चाहते थे कि लोगों का शिक्षा के साथ साथ शील भी सुधरे, क्योंकि एक शीलवान व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के कल्याण के लिये करेगा, किन्तु उसका शील अच्छा न हुआ तो वह लोगों का अहित भी कर सकता है। बाबा साहब शिक्षा के साथ–साथ परिवर्तन की भी बात करते थे क्योंकि बाबा साहब पढ़े लिखे थे, फिर भी उनके जीवन में घटे एक घटना ने उन्हें बाध्य कर दिया था कि केवल शिक्षा ही एक ऐसा मूलमंत्र नहीं है जो दलितों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक बड़ी रियासत की नौकरी करने के उपरान्त भी उन्हे छुआछूत का सामना करना पड़ा था। अतः उन्होने यह निश्चित कर लिया था कि शिक्षा के साथ–साथ अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजगता भी आवश्यक है। वह पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं को साक्षर तथा सजग बनाना चाहते थे।

1942 में नागपुर में हुए शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में लगभग 20 हजार अस्पृश्य महिलाएं सम्मिलित हुई। उनको सम्बोधित करते हुये बाबा साहब ने कहा कि महिलायें सामाजिक प्रगति को तीव्र कर सकती है। इसके लिये आपको स्वच्छ रहना होगा। गंदा रहना आपकी हीनता का द्योतक है। आप दुर्गुणों से दूर रहे। अपने बच्चों को शिक्षित करें उनके हीनता ही ग्रन्थि को दूर कर उन्हें सपने देखना सिखायें तथा उनके विवाह की शीघ्रता न करें आप अपने बच्चों के साथ–साथ घर के पुरूषों में भी बदलाव ला सकती हैं। बाबा साहब ने उन्हे ऐसी वेशभूषा और उसे ऐसे उचित ढंग से पहनने को कहा जिससे उनकी जातिय हीनता प्रकट न हो। अपने घर को साफ–सुथरा रखें। पुराने तथा घिनौने रीति–रिवाजों का परित्याग करें। सवर्ण महिलाओं की तरह साड़ी पहनें। उसी प्रकार गले में ढ़ेर सारी मालाएं न पहने तथा हाथ में कोहनी तथा कड़े यह भी आपकी अस्पृश्यता को दर्शाता है। गले में एक माला का होना पर्याप्त है, इससे पति की आयु का घटने बढ़ने से कोई सम्बन्ध नहीं है। गहनों से ज्यादा अच्छे वस्त्रों पर ध्यान दो, पहनना हो तो सोने की आभूषण पहनो। शराबी पति तथा बच्चों को घर में घुसने न दो और यह तुम तभी कर सकती हो जब तुम्हारे अन्दर दृढ़ विश्वास होगा। शिक्षा के प्रति तभी तुम और तुम्हारा परिवार समाज में सम्मान पा सकेगा इसलिये हे नारी शक्ति तुम आगे बढ़ो और समाज का परिवर्तन करो। बाबा साहब ने शिडयूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहे। विभाजन के पश्चात् संविधान समिति की सदस्य संख्या में परिवर्तन हुआ। जब स्वतन्त्र भारत के संविधान का प्रश्न आया तब सरदार बल्लभभाई पटेल तथा पंडित नेहरू ने यह कार्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संविधान विशेषज्ञ को सौंपने की बात कही जो कम समय में काम पूरा कर सके, जिसके लिये उन्होंने सर आइवर जेनिंग्स का नाम सुझाया लेकिन गांधी जी न इसपर कड़ी आपत्ति की तथा भीमराव अम्बेडकर को सर्वाधिक योग्य समझकर संविधान निर्माण का कार्य सौंपने के लिये कहा। पं. नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सहमति जताते हुये संविधान का कार्य अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में छोड़ दिया। स्वतन्त्रता के पश्चात् अम्बेडकर जी को विधि मन्त्री बनाया गया।

17 सितम्बर 1949 को संविधान समिति में डॉ. अम्बेडकर ने स्वतन्त्रता को सामाजिक समरसता से सम्बन्ध करते हुये कहा था राजनीतिक जनतंत्र आधारभूत सामाजिकता के बिना टिक नहीं सकता। सामाजिक जनतन्त्र, स्वतन्त्रता, समता, बंधुत्व को जीवन मूल्यों को मान्यता देने वाली जीवन पद्धति है ये तीनों घटक त्रिमूर्ति कहे गये है, इन्हे अलग–अलग करके देखने से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

अम्बेडकर ने आरक्षण के समर्थन में बोलते हुये कहा था ''यदि एक व्यक्ति एक मूल्य के जनतन्त्र के तत्व को जीवित रखना है तो समाज की आर्थिक व्यवस्था की रचना को विचारों का आधार देना भी उतना ही आवश्यक है।''

निष्कर्ष

बाबा साहब का उद्देश्य हिन्दुओं को जगाना था लेकिन जब वे नहीं जागे तो उन्होंने अस्पृश्यों को उठाना शुरू किया तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जगाना शुरू किया। अम्बेडकर यह मानते थे कि आधा भारत सोया है तथा जो जागे है उन्हें उनके मानवीय अधिकारों से दूर रखा है। बाबा साहब चाहते थे कि दलित समाज अपने अधिकारों को जाने तथा समझे तथा अपने समाज का उत्थान करें। वह हमेशा अपने समाज की चिंता किया करते थे।

आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनका चिंतन सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। उनके सपनों का भारत हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उनके सपनों को साकार करने के लिये अपनी–अपनी क्षमता के अनुसार प्रामाणिकता से प्रयत्न करते रहना उनके प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

सन्दर्भ सूची

1. राजवीर सिंह, *डॉ. भीमराव अम्बेडकर,* हिन्द पुस्तक भवन, दिल्ली, 2017
2. नरेन्द्र सिंह, *दलितों के मसीहा,* चेतना प्रकाशन, दिल्ली, 2005
3. आशा रावत, *संविधान निर्माता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर,* सुरूचि प्रकाशन, दिल्ली, 2003
4. रजनी द्विवेदी, *भारत का संविधान,* ज्ञान पब्लिशर्स, मेरठ, 1989
5. *आउटलुक पत्रिका,* 1990
6. *ज्ञानदायिनी समाज विज्ञान,* शोध पत्रिका पांचवा संस्करण, 2016

––==00==––